

Case No: 38/2021  
MCMs No: 2021/124

16-7-21 फावली आज पेश हुई

ओपीनोट द्वारा यह अपील R39 की  
द्वारा 19(1) के तहत विरुद्ध लोक सूचना अधिनियम की  
तहत अपीलवाली के अधीन प्रेषित सूचना उपलब्ध  
कराने हेतु विवेक किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा तह-व्याप्ति  
को लिखा गया जो उन्हेते जारी फाउंड सं 38 संख्या  
2005/2021/212 दि 7-5-21 के अपीलवाली के  
सूचना निजवादा जाग सकात कराया गया तब  
इस न्यायालय द्वारा अपीलवाली को जारी नोटीस  
क्रमांक 802 दि 24-5-21 एवं 919 दि 24-6-21 के  
तलब किया गया जो संवर्द्ध नोटीस गामील अनु  
रहा। अतः यह माना जाता है कि अपीलवाली को  
सूचना प्राप्त हो गई है तथा उन्हे इस व्याप्ति दुख गरी  
कहना है किहवा अपील इसी त्हा पर वरुण की  
आरी है।

फावली सूचना फिलाल की जाकर  
सम्बन्ध कठ हो।

A

जिला कलेक्टर, नाली

15/7/21

15/7/21

MP  
15/7/21

